<u>न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कं.—1078 / 2014 संस्थित दिनांक—18.11.14 का.नंबर 234503009402014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना बैहर, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

1.सुरेश कुमार पिता मधुकर यादव, उम्र 28 वर्ष,

/ / <u>विरूद्ध</u>ी

निवासी कोयलीखापा थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) 2.देवेश कुमार पिता स्व. मंगलुराम चौधरी, उम्र 27 साल निवासी सिझौरा तह. बिछिया, जिला मण्डला (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

- 01— आरोपी सुरेश कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—66 / 192(क), 134(क) / 187 के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक 25.10.2014 को दिन के 4.00 बजे ग्राम चारटोला मेन रोड़ एन.एच.—12ए थाना गढ़ी के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 कमांक एम.पी.51—जी 0582 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर खज्हासिंह उइके को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती, उक्त वाहन को बिना परिमट की शर्तों का उल्लंघन करते हुये चलाया तथा उक्त वाहन के भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त संबंध में पुलिस थाना में यथाशीघ्र 24 घंटे के भीतर सूचना नहीं दिया तथा आरोपी देवश कुमार के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा—66 / 192(क) के अंतर्गत आरोप है कि उसने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन 407 कमांक एम.पी.51—जी0582 को आरोपी सुरेश कुमार से बिना परिमट अथवा परिमट की शर्तों का उल्लंघन करते हुये चलवाया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को वाहन 407 पिकअप क्रमांक एम.पी.51 जी—0582 के चालक आरोपी सुरेश कुमार यादव ने

वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर मृतक खज्हासिंह को रॉग साईड में जाकर ठोस मारा, जिससे मृतक को सिर तथा मरतक में चोटे आई और मौके पर ही वह फौत हो गया। प्रार्थी अंकुरदास कोठियार द्वारा थाने पर फोन से सूचना दी गई। उपरोक्त सूचना के आधार पर खज्हासिंह उईके एक्सीडेंट से घटनास्थल पर मृत पाया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप.क. 0/2014 धारा—279, 304ए ता.हि. एवं धारा—184 एम.व्ही. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा मर्ग कमांक 0/2014 धारा—174 जा.फौ. का मर्ग कायम कर मृतक के यहां पंचनामा कार्यवाही एवं अपराध विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी सुरेश कुमार यादव के विरूद्ध अपराध धारा सदर सबूत पाये जाने से उपस्थिति पंचनामा तैयार किया जाकर छोड़ा गया। विवेचना दौरान वाहन मालिक देवेश रावत के विरूद्ध वाहन को बिना परमीट के चलाने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192(क) का ईजाफा किया गया तथा मौके से आरोपी सुरेश कुमार द्वारा आहत को बिना चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये भाग जाने से धारा—134(क)/187 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा किया गया। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही उपरांत चालान क.68/2014 दिनांक 14/11/2014 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— आरोपी सुरेश कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—66 / 192(क), 134(क) / 187 तथा आरोपी देवेश रावत के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—66 / 192(क) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :--

1. क्या अभियुक्त सुरेश कुमार यादव ने दिनांक 25.10.2014 को दिन के 4.00 बजे ग्राम चारटोला मेन रोड़ एन.एच.—12ए थाना गढ़ी के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन 407 कमांक एम.पी. 51—जी 0582 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

- 2. क्या अभियुक्त सुरेश कुमार यादव ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मृतक खज्हासिंह उइके को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
- 3. क्या अभियुक्त सुरेश कुमार यादव ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना परिमट की शर्तो का उल्लंघन करते हुये चलाया ?
- 4. क्या अभियुक्त सुरेश कुमार यादव ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन के भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त संबंध में पुलिस थान में यथाशीघ्र 24 घंटे के भीतर सूचना नहीं दिया ?
- 5. क्या आरोपी देवेश कुमार ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को आरोपी सुरेश कुमार से बिना परिमट अथवा परिमट की शर्तों का उल्लंघन करते हुये चलवाया।

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय बिन्द् कमांक-01 से 02 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05. साक्षी अंकुरदास अ०सा०—1 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। वह मृतक खज्हासिंह को जानता है। घटना वर्ष 2014 की दिन के 2:00—2:30 बजे ग्राम चारटोला में उसके घर के सामने रोड़ की है। उसे आवाज आने पर उसने रोड़ के तरफ जाकर देखा तो रोड़ के किनारे खज्हासिंह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पीकअप वाहन एवं वाहन का चालक मृतक के दो कदम आगे खड़ा था। साक्षी के अनुसार वह आरोपी सुरेश नहीं था। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गये थे। उसके द्वारा उसके घर वालों को खबर पहुंचाई गई। उसने मौखिक रूप से पुलिस को सूचना देकर घटना के बारे में बताया था, जिसपर पुलिस ने देहाती नालसी दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी—01 हैं, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी समय पुलिस ने देहाती नालसी के आधार पर देहाती मर्ग इंटीमेशन तैयार किया था, जो प्रदर्श पी—02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर उसकी निशादेही पर मौका—नक्शा प्रदर्श पी—03 तैयार किया था। पुलिस ने मृत्यु जांच पंचायतनामा प्रदर्श पी—04 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श

पी—05 तैयार किया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घ । प्राटनास्थल से उसके समक्ष एक पीकअप वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी, जब घटना घटित हुई, उस समय वह अपने घर में था, घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता, उसने पुलिस के कहने पर देहाती नालसी प्रदर्श पी—01 एवं मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी—02 पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जो उस समय कोरे थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि प्रदर्श पी—03 का मौका नक्शा उसके समक्ष तैयार नहीं किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस वालों के कहने पर प्रदर्श पी—04 मृत्यु पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—05 तथा जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

- साक्षी कुंवरसिंह अ0सा0—2 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं 06. जानता है। मृतक खज्हासिंह उसके पिता थे। घटना वर्ष 2014 की दीपावली के दूसरे दिन की है। घटना होने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि उसके पिताजी मृत पड़े हुए थे। पुलिस ने प्रदर्श पी-04 एवं 05 का पंचनामा तैयार किया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके अंगूठा निशानी है। पुलिस ने पूछताक्ष कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 25.10.14 की 3:30 बजे की है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वह पीकअप वाहन था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नहीं देखा था, इसलिये वह गाड़ी का नाम नहीं बता सकता। दीपावली 24 तारीख की थी और 25 को दुर्घटना हुई थी, इसलिये उसे दुर्घटना की तारीख याद है। यह अस्वीकार किया कि प्रदर्श पी-04 एवं 05 के पंचनामे पर पुलिस ने चार-पांच दिन बाद हस्ताक्षर करवाये थे। यह स्वीकार किया कि उसने उक्त दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था और ना ही उसे पढ़कर सुनाया गया था, यह स्वीकार किया कि उसने अपना पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस ने उसे उसके कथन पढ़कर सुनाये थे।
- 07. साक्षी लक्ष्मण झारिया अ०सा०-03 का कथन है कि वह आरोपी एवं

मृतक को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व दिन के करीब 4:00 बजे उसके घर ग्राम चारटोला के सामने रोड़ की है। घटना दिनांक को खज्हासिंह ग्राम चारटोला अपने लड़के से मिलने के लिए जा रहा था। घटना के समय खज्हासिंह रोड़ के साईड में उसके घर के सामने खड़ा हो गया था, तभी मोतीनाला तरफ से एक 407 वाहन तेजी से आया था, जिसका चालक शराब के नशे में लग रहा था, जिसने रोड़ के साईड में खड़े खज्हा को टक्कर मार दिया था, जिससे खज्हासिंह की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। मृतक खज्हासिंह की मृत्यु कार्यवाही के समय वह उपस्थित था। नक्शा पंचायतनामा प्रपी–5 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्रपी-6 एवं 7 के अनुसार जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, जिनके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दुर्घटना वाहन चालक की गलती से हुई थी, क्योंकि खज्हासिंह रोड़ के साईड में खड़ा था। उक्त वाहन को भाड़े से चला रहा था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उक्त पीकअप वाहन 407 क्रमांक एम.पी.51-जी 0582 को आरोपी सुरेश कुमार यादव चला रहा था, आरोपी घटना कारित करने के पश्चात वाहन को खड़ा करके भाग गया था। साक्षी के अनुसार पुलिस वाले वाहन को लेकर गये थे। यह अस्वीकार किया कि उसने अपने कथन प्रपी-7 में वाहन को सुरेश कुमार यादव चला रहा था, नहीं बताया था। यह अस्वीकार किया कि घटना के समय वाहन को आरोपी सुरेश कुमार यादव चला रहा था, आरोपी सुरेश कुमार यादव घटना कारित करने के बाद आहत को चिकित्सा सहायता उपलब्ध न कराकर घटनास्थल से भाग गया था, वाहन को परमिट की शर्तो के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, इसलिए भी वह उसके द्वारा वाहन चलाये जाने वाली बात को छूपा रहा है।

08. साक्षी लक्ष्मण झारिया अ०सा०—03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि वह आरोपी सुरेश कुमार यादव को नहीं जानता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल से वाहनों का आवागमन हो रहा था। साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वाहनों का आवागमन नहीं था। यह स्वीकार किया कि वाहन की गति अन्य वाहनों के समान ही थी, उसने चालक के मुँह को गंध लेकर नहीं देखा कि शराब पीया हुआ था, उसने आरोपी सुरेश कुमार यादव को उक्त दुर्घटना कारित करने वाले

वाहन को चलाते हुये नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार उक्त वाहन को गाड़ी मालिक भाड़े से चला रहा था, जो ग्राम सिजौरा का था एवं उक्त दुर्घटना कारित वाहन भाड़े का है। यह स्वीकार किया कि उक्त वाहन देवेश कुमार रावत का नहीं है, उसे दुर्घटना कारित करने वाले गाड़ी का नम्बर नहीं मालूम है, प्रपी—4, 5, 6 पर उसने हस्ताक्षर पुलिस के कहने पर किया था, किस बाबद हस्ताक्षर कराये थे उसे जानकारी नहीं है। यह स्वीकार किया कि उसने अपना पुलिस कथन पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस वालों ने उसे पढ़कर बताये थे।

साक्षी प्रभाष उइके अ०सा०-04 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं 09. पहचानता है। घटना वर्ष 2014 के शाम की है। उसे खबर लगी कि खज्हा बहादुर का एक्सीडेण्ट हो गया है, जिसके बाद वह चारटोला गया और देखा कि खज्हा बहाद्र की मौत हो चुकी थी। उसके सिर पर चोटें थी तथा खून बह रहा घटनास्थल पर बाडी वाली सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। उसे घटनास्थल पर लोगों ने बताया कि वहां खड़ी सफेद गाड़ी से खज्हा का एक्सीडेण्ट हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष प्रपी-04 एवं 05 का नक्शा पंचनामा बनाया था। नक्शा पंचनामा प्रपी 04 के डी से डी भाग तथा नक्शा पंचनामा प्रपी 05 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसे घटना की तारीख और समय याद नहीं होना व्यक्त। वह यह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 25.10.14 के शाम करीब साढ़े चार बजे की है। यह स्वीकार किया कि उसे मोबाईल पर सूचना मिली थी कि खज्हासिंह का चारटोला में एक्सीडेंट हो गया है तथा घटनास्थल पर 407 पिकअप गाड़ी खड़ी थी, जिससे एक्सीडेण्ट हुआ था। वह यह नहीं बता सकता कि गाड़ी नम्बर एमपी.51 / जी-0582 के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर खज्हा की साईड में जाकर टक्कर मारा, जिससे खज्हा की मृत्यु हो गयी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन किसका था और उक्त वाहन को कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम और ना ही घटना के समय किसी ने उसे बताया था। उसे याद नहीं है कि मृतक को कहां-कहां चोट लगी थी, उसने पुलिस को बताया था या नहीं। यह स्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन में पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नम्बर नहीं बताया था और उसने

पुलिस को यह भी नहीं बताया था कि वाहन तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर चालक ने मृतक को ठोस मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। यह अस्वीकार किया कि उसने पंचनामा कार्यवाही पर हस्ताक्षर थाने में किया था। यह स्वीकार किया कि उक्त हस्ताक्षर उसने पुलिस के कहने पर किया था। साक्षी के अनुसार मौके पर पंचनामा बनाय गया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था। उसे याद नहीं है कि उसने अपना पुलिस कथन पढ़ा था या नहीं। उसे याद नहीं है कि पुलिस ने उसके कथन उसे पढ़कर बताये थे या नहीं।

साक्षी मन्नोबाई अ.सा.०८ का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं 10. जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। उसे गांव में चर्चा के दौरान खबर लगी कि उसके पति खजहासिंह का एक्सीडेंट चारटोला में हो गया था। उक्त दुर्घटना सिजोरा निवासी चौधरी के वाहन से हुई थी। दुर्घटना के समय वह अपने पिता के घर गयी थी। दुर्घटनास्थल पर उसके लड़के गये थे। उसे लडकों ने बताया था कि उसका पित साईड से जा रहा था, तो गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मारी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे लक्ष्मण झारिया ने बताया था कि एक सफेद रंग की पिकप पांड्तला शर्मा ढाबा से सिजोरा के तरफ आ रही थी, जिसके चालक ने तेज रफतार लापरवाहीपूर्वक चलाकर खजहासिंह को रांग साईड में आकर ठोस मारा था, उक्त टक्कर मारने से ही खजहासिंह को चोट आयी और वह फौत हो गया था, चर्चा के दौरान उसे मालूम हुआ था कि एक्सीडेण्ट करने वाली मेटाडोर ग्राम सिजोरा के चौधरी की है तथा उसे पता चला था कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के द्घायवर का नाम सुरेश था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे घटना का दिन और दिनांक याद नहीं है। साक्षी के अनुसार शाम के चार बजे की है। यह स्वीकार किया कि उसे लक्ष्मण झारिया ने नहीं बताया था कि उसके पति खजहासिंह की मृत्यु पिकप वाहन के टक्कर मारने से हुई थी। साक्षी के अनुसर चौधरी की गाड़ी से दुर्घटना हुई थी। यह अस्वीकार किया कि उसे यह नहीं बताया गया था कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन देवेश रावत का नहीं था, उसे यह भी नहीं बताया गया था कि उक्त वाहन के चालक का नाम स्रेश यादव था,

उसे यह भी नहीं बताया गया था कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन कैसे चलाया जा रहा था, पुलिस ने उसे पुलिस कथन पढ़कर नहीं सुनाया था और उसने पढ़ी–लिखी ना होने के कारण पढ़ा नहीं था।

- डॉ० एन.एस. कुसरे अ०सा०-७ का कथन है कि वह दिनांक 26.10.14 11-को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गढ़ी से आरक्षक राघवेन्द्र नंबर 1120 द्वारा मृतक खज्हासिंह का शव पोस्ट मार्टम के लिए लाया गया था, जिसे कुवरसिंह एवं करसिंह द्वारा पहचाना गया था। उसके द्वारा शव का बाह्य परीक्षण सुबह 11:15 बजे प्रारंभ किया गया था। उसने शव चित्त अवस्था में होना पाया था, जिसमें अकड़न मौजूद थी। वह कपड़े पहने हुए था, मुँह एवं आंखे बंद थी। सूखा हुआ रक्त चेहरे एवं सिर पर होना पाया था। नाखून पीले पढ़ गये थे। शरीर पर निम्नलिखित चोटे कंटीयूजन विथ एब्रेजन था, जिसमें विकृति आ गयी थी। चीरा लगाने पर अस्थिभंग होना पाया था, जिसके नीचे अत्यधिक मात्रा में थक्का हुआ रक्त होना पाया था। उक्त चोट सिर के बांये भाग पर होना पाया था। कंटीयूजन सिर के अग्र भाग के मध्य भाग पर पाया था, एब्रेजन जिसकी चमड़ी निकल गयी थी, कालापन लिये उक्त चोट बायें हाथ के बाहर की तरफ पाया था। उक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। आंतरिक परीक्षण करने मृतक सामान्य कद काठी का था, पर्दा, पसली, आंतो के पर्दा झिल्ली, मुॅह, भीतरी बाहय जनेंद्रिया स्वस्थ पाये गये थे। खोपड़ी कपाल में सिर के बाये तरफ अस्थिभंग होना पाया। सिल्ली मस्तिष्क में फट गये थे। हृदय में बहुत कम मात्रा में रक्त होना पाया था। पेट में अधपचा भोजन पाया था। छोटा पेट में तरल खाद्य पदार्थ होना पाया था। बड़ी आंत में विष्ठ होना पाया था। उसने मृत्यु का प्रकार सदमा होना पाया था, जो कि प्राण घातक चोट हेड इंजूरी से उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्त्राव से मृत्यु होना पाया था। मृतक की मृत्यु उसने पोस्टमार्टम के 24 घंटे के अंदर होना पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 12. साक्षी देवेश कुमार अ०सा०—05 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। उसके समक्ष सुरेश कुमार से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, जो प्रपी—08

है, किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो प्रपी-09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सुरेश कुमार यादव से उसके समक्ष दिनांक 28.10.14 को थाना परिसर गढ़ी में पुलिस ने आरोपी का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन 407 पिकअप नम्बर एम.पी. 51 / जी-0582 वाहन का फिटनेश सर्टिफिकेट उक्त वाहन का इश्योरेंश ओरिजनल जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, सुरेश यादव उस समय थाने में था, तब उसने उस पर हस्ताक्षर किया था, उसके समक्ष थाने में आरोपी सुरेश कुमार यादव से वाहन के दस्तावेज जप्त हुये थे, तभी उसने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह पुलिस वालों के बुलाये अनुसार थाने में गया था, जब वह थाने में पहुंचा तो आरोपी के अलावा और भी चार-पांच लोग उपस्थित थे, प्रपी-08 की लिखा-पढ़ी पहले ही पुलिस द्वारा कर ली गयी थी और उसने पुलिस के कहने पर उक्त हस्ताक्षर किये थे, उसने जब हस्ताक्षर किया था तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसने हस्ताक्षर क्यों किया है, उसके समक्ष किसी प्रकार की कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी तथा उसने जब उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया, तब आरोपी सामने नहीं था।

13. साक्षी जी.एल. चौधरी अ०सा०—०६ का कथन है कि वह दिनांक 25.10.14 को थाना गढ़ी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा देहाती नालसी के आधार पर अपराध कमांक 0/14 धारा 279, 304ए भा.द.सं. एवं धारा 184 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत सूचनाकर्ता अंकुरदास की ओर से 407 पिकप वाहन कमांक एम.पी.51/जी—0582 के चालक के विरूद्ध देहाती नालसी प्र.पी.01 दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है एवं ए से ए भाग पर सूचनाकर्ता अंकुरदास के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही 0/14 धारा 174 मृतक खजहासिंह की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमशन प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मृतक की पंचनामा कार्यवाही के संबंध में पंचानों को धारा—175 जा.फौ. के अंतर्गत सूचना दी गई थी, जो प्र.पी.04 एवं 05 हे, जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 25.10.2014 को 16:30 बजे घटनास्थल जाकर अंकुरदास की

निशादेही पर मौका नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही पिकप वाहन 407 क्रमांक एम.पी.51 / जी—0582 के चालक के विरूद्ध असल अपराध क्रमांक 77 / 14 धारा—279, 304ए भा.द.वि. और धारा—184 मो.व्ही. एक्ट का अपराध कायम किया था, जो प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

साक्षी जी.एल. चौधरी अ०सा०-०६ के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट 14. कायम करने के बाद उसके द्वारा असल मर्ग क्रमांक 36 / 14 धारा-174 जा.फौ. के तहत् मर्ग कायम किया था, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए एव बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 28.10.2014 को आरोपी सुरेश कुमार यादव से गवाह देवेन्द्र कुमार, अशोक अग्निहोत्री के समक्ष मय दस्तावेजों के जप्त किया गया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुरेश कुमार को गवाहों के समक्ष उपस्थिति पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी.09 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। दिनांक 25.10.2014 को घटनास्थल से गवाह अंक्ररदास कोठयार, लक्ष्मण झारिया के समक्ष एक पिकप वाहन नंबर एम.पी. 51 / जी-0582 सफेद बाडी वाली प्र.पी.06 के अनुसार चालू हालत में जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वाहन मालिक को धारा 133 मो. व्ही. एक्ट के तहत् देवेश रावत को नोटिस दिया गया था। उक्त वाहन घटना दिनांक 25.10.2014 को सुरेश कुमार यादव चला रहा था, जो प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक 25.10.2014 को अंकुरदास, कुवरसिंह उइके, लक्ष्मण झारिया, प्रभाष उइके, मन्नोबाई के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उसके द्वारा उक्त पिकप वाहन 407 क्रमांक एम.पी.51 / जी-0582 का मैकेनिकल परीक्षण गंगासिंह ठाकुर से करवाया गया था। वाहन का सुपूर्वनामा पर न्यायालय के आदेश पर वाहन मालिक देवेश रावत की दिया गया था, जिसे देवेश रावत द्वारा दिनांक 29.10.2014 को मय दस्तावेजों के प्राप्त किया गया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा धारा-66 / 192(क), 134(क) / 187 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन थाना प्रभारी को पेश कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

साक्षी जी.एल. चौधरी अ०सा०-०६ ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह 15. अस्वीकार किया कि प्र.पी.01 प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही झूठी की गई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा ही दर्ज करवाई गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक का नाम अंकित नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय चालक का नाम मालूम नहीं था। यह अस्वीकार किया कि देहाती नालसी प्र.पी.01 की कार्यवाही, असल मर्ग धारा 174 जा.फौ. की कार्यवाही तथा प्र.पी.02 देहाती मर्ग इंटीमशन की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, पंचायतनामा में उपस्थित होने के लिए भी आवेदन पत्र उसके द्वारा झूठा तैयार किया गया था, प्र.पी.05 नक्शा पंचायतनामा उसके द्वारा झूठा तैयार किया गया था, प्र.पी.03 मौका नक्शा की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी। साक्षी के अनुसार उसने साक्षी अंकुरदास के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था। यदि साक्षी अंकुरदास ने अपने न्यायालयीन कथन में पुलिस के कहने पर प्र.पी.03, प्र.पी.4 एवं प्र.पी.05 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कथन किया हो तो वह गलत है। यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा प्र.पी.08 की कार्यवाही झूठी की गई थी। उक्त कार्यवाही में साक्षी देवेश रावत ने मात्र उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कथन किया है। यह स्वीकार किया कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.08 की कार्यवाही थाने में की थी। यह अस्वीकार किया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.06 की कार्यवाही थाने में की गई थी। साक्षी के अनुसार उसने घटनास्थल पर की थी। यदि साक्षी अंकुरदास एवं लक्ष्मण ने अपने न्यायालयीन कथन में प्र.पी.06 की कार्यवाही में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करने का कथन किया हो तो वह गलत है। यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.12 एवं प्र.पी.09 की कार्यवाही उसने झूठी की थी तथा साक्षीगण अंकुरदास, कुवरसिंह, लक्ष्मण, प्रभाष, मनुबाई के कथन उसके द्वारा झूठे तैयार किये गये थे। यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, देहाती नालसी, असम मर्ग कायमी, देहाती मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा में उपस्थिति हेतु आवेदन, मौका नक्शा, नक्शा पंचायतनामा, संपत्ति जप्ती पत्रक, गवाहों के कथन, गवाह अंकुरदास और कुंवरसिंह, लक्ष्मण झारिया, प्रभाष उइके के कथन की कार्यवाही उसके द्वारा दिनांक 25.10.2014 को की गई थी तथा विवेचना की अधिकतर कार्यवाही उसके द्वारा एक ही दिन की गई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा मृतक के परिवार को मृत्यु दावा प्रकरण का लाभ पहुँचाने की दृष्टि से उसके परिवार से मिलकर आरोपी के विरूद्ध झूठी कार्यवाही की गई थी।

16.

घटना का चक्षुदर्शी साक्षी केवल लक्ष्मण झारिया अ.सा.०३ है, जिसने 16. सडक किनारे खड़े खज्हासिंह को 407 वाहन द्वारा टक्कर मारने के कथन किये है। उक्त साक्षी ने वाहन सिझोरा निवासी भाड़े द्वारा चलाने के कथन कर देवेश रावत के वाहन से घटना होने तथा दुर्घटना के बाद वाहन चालक के भागने के तथ्य से इंकार किया है। परिवादी अंकुरदास अ.सा.01 ने भी घटना के बाद पीकअप वाहन तथा चालक के घटनास्थल पर मौजूद होने के कथन किये हैं और घटनास्थल पर आरोपी सुरेश यादव की उपस्थिति से इंकार किया है। अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त दुर्घटना के पश्चात भाग गया था, जबकि स्वयं परिवादी अंकुरदास ने वाहन चालक के घटनास्थल पर मौजूद होने के कथन किये हैं, जिसका समर्थन अभियोजन साक्षियों ने भी किया है। यद्यपि वाहन मालिक द्वारा धारा-133 मो.व्ही. एक्ट के नोटिस के जवाब प्र.पी.12 में घटना दिनांक को आरोपी द्वारा वाहन चालन के कथन किये हैं तथा अभियुक्त ने भी अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि घटना के समय वह अन्यत्र था, तथापि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा ही अभियुक्त के घटना के समय नहीं होने के कथन किये गये हैं, यदि तर्क के लिये मान भी लिया जाये कि आरोपी स्रेश द्वारा घटना के समय वाहन चालन किया जा रहा था, तब भी साक्षी लक्ष्मणसिंह अ.सा.03 के अतिरिक्त घटना का चक्षुदश्री साक्षी नहीं है और उक्त साक्षी ने अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन चालन के कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-03, 04 एवं 05 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03, 04 एवं 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

17. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित नहीं है और ना ही घटना के पश्चात चालक के भागने के कोई तथ्य प्रकट हुए है। विवेचना अधिकारी जी.एल. चौधरी अ.सा.06 ने मात्र मोटरयान अधिनियम की धाराएँ बढ़ाने के कथन किये हैं और यह प्रकट ही नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या कृत्य किये गये हैं। अन्स सभी अभियोजन साक्षियों ने उक्त आरोपित अपराधों से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

- 18. अतः अभियुक्त सुरेश कुमार यादव को भा.दं०सं० की धारा—279, 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—66 / 192(क), 134(क) / 187 तथा आरोपी देवेश कुमार को मो०व्ही० एक्ट की धारा—66 / 192(क) के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- 19. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन 407 क्रमांक एम.पी.51—जी—0582 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 21. अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

ा न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)